

राजस्थान-सरकार
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

दिनांक:- 15.2.03

क्रमांक/ राम/ भू0अ0/एल.आर.सी./प-51/02/1236-1267
जिला कलेक्टर (समस्त)
राजस्थान।

विषय:- कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड के संबंध में।
प्रसंग:- मण्डल का पत्र क्रमांक/ राम/ भू.अ./ एलआरसी/प-51/
6634-69 दिनांक 22.7.02

महोदय,

विषयान्तर्गत आपका ध्यान मण्डल के प्रासांगिक पत्र की ओर आकर्षित है जिसके द्वारा कम्प्यूटराईजेशन ऑफ लैण्ड रेकार्ड योजना के अंतर्गत निम्नानुसार निर्देश/ सुझाव दिये गये हैं:-

1. रिर्सोस परसन को दो वर्ष पूर्व स्थानांतरित नहीं किया जावे।
 2. क्रियाशील तहसीलों से कम्प्यूटराईज्ड नकलें जारी की जावे।
 3. नई जमाबंदियाँ कम्प्यूटर से ही तैयार की जावे।
 4. योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।
 5. जिन तहसीलों में कम्प्यूटर स्थापित किये जा चुके हैं, उनकी प्रोपर फंक्शनिंग की जावे एवं तहसील के निरीक्षण पर एक चैक लिस्ट भर कर दी जावे।
- बिन्दु संख्या 5 के क्रम में कुछ जिलों से चैक लिस्ट प्राप्त हुई है व कुछ जिलों से चैक लिस्ट मण्डल को प्राप्त नहीं है। अतः पुनः निवेदन है कि क्रियाशील तहसीलों का सतत निरीक्षण कर लिया जावे व चैक लिस्ट यथा समय मण्डल को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।

भवदीय

उप-निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
दिनांक:- 15.2.03

क्रमांक/ राम/ सम/ 1268-1275
प्रतिलिपि:-

1. संभागीय आयुक्त, समस्त (राजस्थान)
2. तकनीकी निदेशक एवं एस.आई.ओ., पश्चिमी खण्ड, सचिवालय, जयपुर।
3. ए.सी.पी., राजस्व मण्डल राज0, अजमेर।

एन0आई0सी0, कमरा नं0318, उत्तर
उप-निबन्धक(भू0अ0)
राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर